काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

BANARAS HINDU UNIVERSITY

3160
13-12-19

कुलसचिव कार्यालय
सम्पदा कार्यालय

OFFICE OF THE REGISTRAR
ESTATES OFFICE

ESTABLISHED BY PARLIAMENT BY NOTIFICATION NO. 225 OF 1916

No. Est./ /2019-20/ 34125

Dated : 12.12.2019

To,
The Dean,
Faculty of Education,
Banaras Hindu University.

Sub : Regarding mutation papers of Education Faculty land situated at Vinayka, Kamachha, Varanasi.

Sir,

With reference to your letter No.Ed./NCTE-31/2019-20/1474 dated 07.12.2019 on the subject cited above.

Please find enclosed herewith the copy of mutation papers regarding Education Faculty land at Vinayka, Kamachha, Varanasi.

Yours faithfully,

Encl. : As above

Dy. Registrar (Estates)

File - NCTE - PAR
14/12/19

S.O

BHU

VARANASI-221005, UP, INDIA,
T : 0542-230-7251; 670-1744, 1751,1651, 1762
W:www.bhu.ac.in
E : estates_office@rediffmail.com

201

न्यायालय मुख्य राजस्व अधिकारी, वाराणसी

विविध संशोधन प्रार्थना पत्र वाद सं0 9/2/ वर्ष 2006–07

मौजा – विनायका, परगना दे0 अमानत,तहसील व जिला वाराणसी

सम्पदा अधिकारी, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय बनाम सरकार उ0प्र0

निर्णय

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय कार्यालय के प्राप्त प्रार्थना पत्र दिनांक 14/06/2006 तथा उसके साथ सम्बन्ध विवरण दिनांक 25/11/1952 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में उल्लिखित गाटों का अधिग्रहण भूमि अध्यापति अधिकारी द्वारा टीचर्स ट्रेनिंग कालेज के विस्तार के लिये किया गया था, और सभी खातेदारों को उनका भुगतान करके अवार्ड घोषित कर दिया गया था । आदेश के प्रमाणित प्रतियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त आदेश का कियान्वयन कुछ खातो में छूट गया है, जिसके कारण आज भी उक्त भूखण्ड बी0एच0यू0 के बाउन्ड्री वाल के अन्दर स्थित होने के बावजूद अभिलेखों में त्रुटियां बनी आ रही है। अब मौके पर बी0एच0यू0 का कब्जा लेखपाल द्वारा बताया गया है। उद्धरण खतौनी तथा अधिग्रहण आदेश के अवलोकन से उक्त त्रुटियों का निवारण करना आवश्यक है। वाद पत्रावली सं0–1 अग्रणी पत्रावली बनाई गई ।

अतः सम्यक् विचारोंपरान्त निम्न आदेश पारित करते हुये अभिलेखों में संशोधन करने के निर्देश दिये जाते है।

आदेश

ग्राम विनायका परगना दे0अमानत तहसील व जिला वाराणसी की नान जेड0ए0 खतौनी 1413 फसली के खाता संख्या 33 गाटा सं068/1 रकबा 0.231 पर से खातेदार घासीराम व शंकर प्रसाद व लक्षमन प्रसरद पुत्रगण सीताराम व बीरबल व छोटेलाल पुत्रगण रामजी सा0 देह का नाम निरस्त करके काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा सम्पदा अधिकारी बी0एच0यू0 का नाम दर्ज किया जाय। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाय।

दिनांक–4 जनवरी , 2007

Sd

(जग प्रसाद)
मुख्य राजस्व अधिकारी,
वाराणसी।

सत्यप्रतिलिपि
लेखपाल
मुख्य राजस्व अधिकारी
वाराणसी

न्यायालय मुख्य राजस्व अधिकारी, वाराणसी

विविध संशोधन प्रार्थना पत्र वाद सं0 10/3/ वर्ष 2006–07

मौजा – विनायका, परगना दे0 अमानत,तहसील व जिला वाराणसी

सम्पदा अधिकारी, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय बनाम सरकार उ0प्र0

निर्णय

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय कार्यालय के प्राप्त प्रार्थना पत्र दिनांक 14/06/2006 तथा उसके साथ सम्बन्ध विवरण दिनांक 25/11/1952 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में उल्लिखित गाटों का अधिग्रहण भूमि अध्यापति अधिकारी द्वारा टीचर्स ट्रेनिंग कालेज के विस्तार के लिये किया गया था, और सभी खातेदारों को उनका भुगतान करके अवार्ड घोषित कर दिया गया था । आदेश के प्रमाणित प्रतियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त आदेश का क्रियान्वयन कुछ खातो में छूट गया है; जिसके कारण आज भी उक्त भूखण्ड बी0एच0यू0 के बाउन्ड्री वाल के अन्दर स्थित होने के बावजूद अभिलेखों में त्रुटियां बनी आ रही है। अब मौके पर बी0एच0यू0 का कब्जा लेखपाल द्वारा बताया गया है। उद्धरण खतौनी तथा अधिग्रहण आदेश के अवलोकन से उक्त त्रुटियों का निवारण करना आवश्यक है। वाद पत्रावली सं0–1 अग्रणी पत्रावली बनाई गई ।

अतः सम्यक् विचारोंपरान्त निम्न आदेश पारित करते हुये अभिलेखों में संशोधन करने के निर्देश दिये जाते है।

आदेश

ग्राम विनायका परगना दे0अमानत तहसील व जिला वाराणसी की नान जेड0ए0 खतौनी 1413 फसली के खाता संख्या 34 गाटा सं0 275 रकबा 0.073 व गाटा सं0 276 रक्बा 0.498 व गाटा सं0 277 रक्बा 0.093 पर से खातेदार बालकिशुन उर्फ कल्लन व हीरालाल पुत्रगण रमेस्सर सा0 देह का नाम निरस्त करके काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा सम्पदा अधिकारी बी0एच0यू0 का नाम दर्ज किया जाय। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाय।

दिनांक–4 जनवरी , 2007

Sd.
(जग प्रसाद)
मुख्य राजस्व अधिकारी,
वाराणसी।

सत्यप्रतिलिपि
03.2.07
अमलदार
मु0 रा0 अधिकारी
वाराणसी

194

न्यायालय मुख्य राजस्व अधिकारी, वाराणसी

विविध संशोधन प्रार्थना पत्र वाद सं0 11/4/वर्ष 2006–07

मौजा – विनायका, परगना दे0 अमानत,तहसील व जिला वाराणसी

सम्पदा अधिकारी, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय बनाम सरकार उ0प्र0

निर्णय

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय कार्यालय के प्राप्त प्रार्थना पत्र दिनांक 14/06/2006 तथा उसके साथ सम्बन्ध विवरण दिनांक 25/11/1952 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में उल्लिखित गाटों का अधिग्रहण भूमि अध्यापति अधिकारी द्वारा टीचर्स ट्रेनिंग कालेज के विस्तार के लिये किया गया था, और सभी खातेदारों को उनका भुगतान करके अवार्ड घोषित कर दिया गया था । आदेश के प्रमाणित प्रतियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त आदेश का कियान्वयन कुछ खातो में छूट गया है, जिसके कारण आज भी उक्त भूखण्ड बी0एच0यू0 के बाउन्ड्री वाल के अन्दर स्थित होने के बावजूद अभिलेखों में त्रुटियां बनी आ रही है। अब मौके पर बी0एच0यू0 का कब्जा लेखपाल द्वारा बताया गया है। उद्धरण खतौनी तथा अधिग्रहण आदेश के अवलोकन से उक्त त्रुटियों का निवारण करना आवश्यक है। वाद पत्रावली सं0–1 अग्रणी पत्रावली बनाई गई ।

अतः सम्यक् विचारोंपरान्त निम्न आदेश पारित करते हुये अभिलेखों में संशोधन करने के निर्देश दिये जाते है।

आदेश

ग्राम विनायका परगना दे0अमानत तहसील व जिला वाराणसी की नान जेड0ए0 खतौनी 1413 फसली के खाता संख्या 15 गाटा सं0 67 रकबा 0.445 व गाटा सं0 93 रक्बा 0.312 व गाटा सं0 97 रक्बा 0.101 व गाटा सं0 98 रक्बा 0.295 पर से खातेदार कृशणमोहनपुरी व विन्देश्वरीपुरी व मंगलापुरी व भगवानपुरी पुत्रगण मोहनपुरी का नाम निरस्त करके काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा सम्पदा अधिकारी बी0एच0यू0 का नाम दर्ज किया जाय। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाय।

दिनांक–4 जनवरी , 2007

Sd/-
(जग प्रसाद)
मुख्य राजस्व अधिकारी,
वाराणसी।

सत्यप्रतिलिपि
03.2.07
सहायक
मुख्य राजस्व अधिकारी
वाराणसी

न्यायालय मुख्य राजस्व अधिकारी, वाराणसी

विविध संशोधन प्रार्थना पत्र वाद सं0 5/12/वर्ष 2006–07

मौजा – विनायका, परगना दे0 अमानत,तहसील व जिला वाराणसी

सम्पदा अधिकारी, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय बनाम सरकार उ0प्र0

निर्णय

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय कार्यालय के प्राप्त प्रार्थना पत्र दिनांक 14/06/2006 तथा उसके साथ सम्बन्ध विवरण दिनांक 25/11/1952 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में उल्लिखित गाटों का अधिग्रहण भूमि अध्यापति अधिकारी द्वारा टीचर्स ट्रेनिंग कालेज के विस्तार के लिये किया गया था, और सभी खातेदारों को उनका भुगतान करके अवार्ड घोषित कर दिया गया था । आदेश के प्रमाणित प्रतियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त आदेश का कियान्वयन कुछ खातो में छूट गया है, जिसके कारण आज भी उक्त भूखण्ड बी0एच0यू0 के बाउन्ड्री वाल के अन्दर स्थित होने के बावजूद अभिलेखों में त्रुटियां बनी आ रही है। अब मौके पर बी0एच0यू0 का कब्जा लेखपाल द्वारा बताया गया है। उद्धरण खतौनी तथा अधिग्रहण आदेश के अवलोकन से उक्त त्रुटियों का निवारण करना आवश्यक है। वाद पत्रावली सं0–1 अग्रणी पत्रावली बनाई गई ।

अतः सम्यक् विचारोंपरान्त निम्न आदेश पारित करते हुये अभिलेखों में संशोधन करने के निर्देश दिये जाते है।

आदेश

ग्राम विनायका परगना दे0अमानत तहसील व जिला वाराणसी की नान जेड0ए0 खतौनी 1413 फसली के खाता संख्या 16 गाटा सं0 274 रकबा 0.186 पर से खातेदार बद्रीप्रसाद व केदारनाथ व जगरनाथप्रसाद व द्वारिका प्रसाद पुत्रगण लक्ष्मीनरायण सा0 मानमंदिर का नाम निरस्त करके काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा सम्पदा अधिकारी बी0एच0यू0 का नाम दर्ज किया जाय। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाय।

दिनांक–4 जनवरी . 2007

Sd
(जग प्रसाद)
मुख्य राजस्व अधिकारी,
वाराणसी।

सत्यप्रतिलिपि
03.2.07
नकलनवीस
मुख्य राजस्व अधिकारी
वाराणसी

188

न्यायालय मुख्य राजस्व अधिकारी, वाराणसी

विविध संशोधन प्रार्थना पत्र वाद सं0– 13/6/वर्ष 2006–07

मौजा – विनायका, परगना दे0 अमानत,तहसील व जिला वाराणसी

सम्पदा अधिकारी, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय बनाम सरकार उ0प्र0

निर्णय

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय कार्यालय के प्राप्त प्रार्थना पत्र दिनांक 14/06/2006 तथा उसके साथ सम्बन्ध विवरण दिनांक 25/11/1952 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में उल्लिखित गाटों का अधिग्रहण भूमि अध्यापति अधिकारी द्वारा टीचर्स ट्रेनिंग कालेज के विस्तार के लिये किया गया था, और सभी खातेदारों को उनका भुगतान करके अवार्ड घोषित कर दिया गया था । आदेश के प्रमाणित प्रतियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त आदेश का कियान्वयन कुछ खातो में छूट गया है, जिसके कारण आज भी उक्त भूखण्ड बी0एच0यू0 के बाउन्ड्री वाल के अन्दर स्थित होने के बावजूद अभिलेखों में त्रुटियां बनी आ रही है। अब मौके पर बी0एच0यू0 का कब्जा लेखपाल द्वारा बताया गया है। उद्धरण खतौनी तथा अधिग्रहण आदेश के अवलोकन से उक्त त्रुटियों का निवारण करना आवश्यक है। वाद पत्रावली सं0–1 अग्रणी पत्रावली बनाई गई ।

अतः सम्यक् विचारोंपरान्त निम्न आदेश पारित करते हुये अभिलेखों में संशोधन करने के निर्देश दिये जाते है।

आदेश

ग्राम विनायका परगना दे0अमानत तहसील व जिला वाराणसी की नान जेड0ए0 खतौनी 1413 फसली के खाता संख्या 35 गाटा सं0 95 रकबा 0.162 पर से खातेदार बुद्धू पुत्र काशी सा0 देह व विश्वनाथ व रामप्रसाद पुत्रगण शिवनंदन व नन्हकू व बैजू पुत्रगण रग्घू सा0 देह का नाम निरस्त करके काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा सम्पदा अधिकारी बी0एच0यू0 का नाम दर्ज किया जाय। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाय।

दिनांक–5 जनवरी , 2007

Sd/-
(जग प्रसाद)
मुख्य राजस्व अधिकारी,
वाराणसी।

सत्यप्रतिलिपि
03-2-07
जेहलाल
मुख्य राजस्व अधिकारी
वाराणसी

185

न्यायालय मुख्य राजस्व अधिकारी, वाराणसी

विविध संशोधन प्रार्थना पत्र वादसं0 7/14 वर्ष 2006–07

मौजा – विनायका, परगना दे0 अमानत,तहसील व जिला वाराणसी

सम्पदा अधिकारी, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय बनाम सरकार उ0प्र0

निर्णय

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय कार्यालय के प्राप्त प्रार्थना पत्र दिनांक 14/06/2006 तथा उसके साथ सम्बन्ध विवरण दिनांक 25/11/1952 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में उल्लिखित गाटों का अधिग्रहण भूमि अध्यापति अधिकारी द्वारा टीचर्स ट्रेनिंग कालेज के विस्तार के लिये किया गया था, और सभी खातेदारों को उनका भुगतान करके अवार्ड घोषित कर दिया गया था । आदेश के प्रमाणित प्रतियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त आदेश का कियान्वयन कुछ खातो में छूट गया है, जिसके कारण आज भी उक्त भूखण्ड बी0एच0यू0 के बाउन्ड्री वाल के अन्दर स्थित होने के बावजूद अभिलेखों में त्रुटियां बनी आ रही है। अब मौके पर बी0एच0यू0 का कब्जा लेखपाल द्वारा बताया गया है। उद्धरण खतौनी तथा अधिग्रहण आदेश के अवलोकन से उक्त त्रुटियों का निवारण करना आवश्यक है। वाद पत्रावली सं0–1 अग्रणी पत्रावली बनाई गई ।

अतः सम्यक् विचारोंपरान्त निम्न आदेश पारित करते हुये अभिलेखों में संशोधन करने के निर्देश दिये जाते है।

आदेश

ग्राम विनायका परगना दे0अमानत तहसील व जिला वाराणसी की नान जेड0ए0 खतौनी 1413 फसली के खाता संख्या 47 गाटा सं0 मि0 92 रकबा 0.077 पर से खातेदार बुधिराम सिंह पुत्र गोकुल सा0 म0 न0 एस0 2/115 अर्दली बाजार शहर वाराणसी का नाम निरस्त करके काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा सम्पदा अधिकारी बी0एच0यू0 का नाम दर्ज किया जाय। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाय।

दिनांक–5 जनवरी , 2007

Sd
(जग प्रसाद)
मुख्य राजस्व अधिकारी,
वाराणसी।

सत्यप्रतिलिपि
03-02-07
अहलमद
मुख्य राजस्व अधिकारी
वाराणसी

182

न्यायालय मुख्य राजस्व अधिकारी, वाराणसी

विविध संशोधन प्रार्थना पत्र वाद सं0 15/8/वर्ष 2006–07

मौजा – विनायका, परगना दे0 अमानत,तहसील व जिला वाराणसी

सम्पदा अधिकारी, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय बनाम सरकार उ0प्र0

निर्णय

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय कार्यालय के प्राप्त प्रार्थना पत्र दिनांक 14/06/2006 तथा उसके साथ सम्बन्ध विवरण दिनांक 25/11/1952 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में उल्लिखित गाटों का अधिग्रहण भूमि अध्यापति अधिकारी द्वारा टीचर्स ट्रेनिंग कालेज के विस्तार के लिये किया गया था, और सभी खातेदारों को उनका भुगतान करके अवार्ड घोषित कर दिया गया था । आदेश के प्रमाणित प्रतियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त आदेश का कियान्वयन कुछ खातो में छूट गया है, जिसके कारण आज भी उक्त भूखण्ड बी0एच0यू0 के बाउन्ड्री वाल के अन्दर स्थित होने के बावजूद अभिलेखों में त्रुटियां बनी आ रही है। अब मौके पर बी0एच0यू0 का कब्जा लेखपाल द्वारा बताया गया है। उद्धरण खतौनी तथा अधिग्रहण आदेश के अवलोकन से उक्त त्रुटियों का निवारण करना आवश्यक है। वाद पत्रावली सं0–1 अग्रणी पत्रावली बनाई गई ।

अतः सम्यक् विचारोंपरान्त निम्न आदेश पारित करते हुये अभिलेखों में संशोधन करने के निर्देश दिये जाते है।

आदेश

ग्राम विनायका परगना दे0अमानत तहसील व जिला वाराणसी की नान जेड0ए0 खतौनी 1413 फसली के खाता संख्या 48 गाटा सं0 मि0 92 रकबा 0.057 पर से खातेदार शिवनाथ पुत्र भगेलू राम सहगर व श्यामलाल पुत्र महगी सा0 विशेश्वरगंज पर0 दे0 अमा0 का नाम निरस्त करके काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा सम्पदा अधिकारी बी0एच0यू0 का नाम दर्ज किया जाय। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाय।

दिनांक–5 जनवरी , 2007

Sd
(जग प्रसाद)
मुख्य राजस्व अधिकारी,
वाराणसी।

सत्यप्रतिलिपि
03.2.07
अमीन
मुख्य राजस्व अधिकारी
वाराणसी

179

न्यायालय मुख्य राजस्व अधिकारी, वाराणसी

विविध संशोधन प्रार्थना पत्र वाद सं0 16/9 / वर्ष 2006–07

मौजा – विनायका, परगना दे0 अमानत,तहसील व जिला वाराणसी

सम्पदा अधिकारी, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय बनाम सरकार उ0प्र0

निर्णय

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय कार्यालय के प्राप्त प्रार्थना पत्र दिनांक 14/06/2006 तथा उसके साथ सम्बन्ध विवरण दिनांक 25/11/1952 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र मे उल्लिखित गाटों का अधिग्रहण भूमि अध्यापति अधिकारी द्वारा टीचर्स ट्रेनिंग कालेज के विस्तार के लिये किया गया था, और सभी खातेदारों को उनका भुगतान करके अवार्ड घोषित कर दिया गया था । आदेश के प्रमाणित प्रतियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त आदेश का कियान्वयन कुछ खातो में छूट गया है, जिसके कारण आज भी उक्त भूखण्ड बी0एच0यू0 के बाउन्ड्री वाल के अन्दर स्थित होने के बावजूद अभिलेखों में त्रुटियां बनी आ रही है। अब मौके पर बी0एच0यू0 का कब्जा लेखपाल द्वारा बताया गया है। उद्धरण खतौनी तथा अधिग्रहण आदेश के अवलोकन से उक्त त्रुटियों का निवारण करना आवश्यक है। वाद पत्रावली सं0–1 अग्रणी पत्रावली बनाई गई ।

अतः सम्यक् विचारोंपरान्त निम्न आदेश पारित करते हुये अभिलेखों में संशोधन करने के निर्देश दिये जाते है।

आदेश

ग्राम विनायका परगना दे0अमानत तहसील व जिला वाराणसी की नान जेड0ए0 खतौनी 1413 फसली के खाता संख्या 49 गाटा सं0 मि0 92 रकबा 0.049 पर से खातेदार रामसेवक पुत्र सहतीराम नि0 केशरीपुर व अशोक कुमार सिंह पुत्र रामचंदर सिं सा0 म0न0 एस0 1/65 नरोत्तम नगर कालोनी वाराणसी का नाम निरस्त करके काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा सम्पदा अधिकारी बी0एच0यू0 का नाम दर्ज किया जाय। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाय।

दिनांक–5 जनवरी , 2007

Sd
(जग प्रसाद)
मुख्य राजस्व अधिकारी,
वाराणसी।

सत्यप्रतिलिपि
03-2-07
अमलदार
मुख्य राजस्व अधिकारी
वाराणसी

न्यायालय मुख्य राजस्व अधिकारी, वाराणसी

विविध संशोधन प्रार्थना पत्र वाद सं0 10/वर्ष 2006–07

मौजा – विनायका, परगना दे0 अमानत,तहसील व जिला वाराणसी

सम्पदा अधिकारी, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय बनाम सरकार उ0प्र0

निर्णय

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय कार्यालय के प्राप्त प्रार्थना पत्र दिनांक 14/06/2006 तथा उसके साथ सम्बन्ध विवरण दिनांक 25/11/1952 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में उल्लिखित गाटों का अधिग्रहण भूमि अध्यापति अधिकारी द्वारा टीचर्स ट्रेनिंग कालेज के विस्तार के लिये किया गया था, और सभी खातेदारों को उनका भुगतान करके अवार्ड घोषित कर दिया गया था । आदेश के प्रमाणित प्रतियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त आदेश का कियान्वयन कुछ खातो में छूट गया है, जिसके कारण आज भी उक्त भूखण्ड बी0एच0यू0 के बाउन्ड्री वाल के अन्दर स्थित होने के बावजूद अभिलेखों में त्रुटियां बनी आ रही है। अब मौके पर बी0एच0यू0 का कब्जा लेखपाल द्वारा बताया गया है। उद्धरण खतौनी तथा अधिग्रहण आदेश के अवलोकन से उक्त त्रुटियों का निवारण करना आवश्यक है। वाद पत्रावली सं0–1 अग्रणी पत्रावली बनाई गई ।

अतः सम्यक् विचारोंपरान्त निम्न आदेश पारित करते हुये अभिलेखों में संशोधन करने के निर्देश दिये जाते है।

आदेश

ग्राम विनायका परगना दे0अमानत तहसील व जिला वाराणसी की नान जेड0ए0 खतौनी 1413 फसली के खाता संख्या 50 गाटा सं0 मि0 92 रकबा 0.020 पर से खातेदार कृश्णानंद राय पुत्र तपसीनरामन राय सा0 बिरदोपुर का नाम निरस्त करके काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा सम्पदा अधिकारी बी0एच0यू0 का नाम दर्ज किया जाय। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाय।

दिनांक–5 जनवरी , 2007

Sd

(जग प्रसाद)
मुख्य राजस्व अधिकारी,
वाराणसी।

सत्यप्रति लिपि
03.02.07
अमलदार
मुख्य राजस्व अधिकारी
वाराणसी

न्यायालय मुख्य राजस्व अधिकारी, वाराणसी

विविध संशोधन प्रार्थना पत्र वाद सं0 18/11/वर्ष 2006–07

मौजा – विनायका, परगना दे0 अमानत,तहसील व जिला वाराणसी

सम्पदा अधिकारी, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय बनाम सरकार उ0प्र0

निर्णय

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय कार्यालय के प्राप्त प्रार्थना पत्र दिनांक 14/06/2006 तथा उसके साथ सम्बन्ध विवरण दिनांक 25/11/1952 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में उल्लिखित गाटों का अधिग्रहण भूमि अध्यापति अधिकारी द्वारा टीचर्स ट्रेनिंग कालेज के विस्तार के लिये किया गया था, और सभी खातेदारों को उनका भुगतान करके अवार्ड घोषित कर दिया गया था । आदेश के प्रमाणित प्रतियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त आदेश का कियान्वयन कुछ खातो में छूट गया है, जिसके कारण आज भी उक्त भूखण्ड बी0एच0यू0 के बाउन्ड्री वाल के अन्दर स्थित होने के बावजूद अभिलेखों में त्रुटियां बनी आ रही है। अब मौके पर बी0एच0यू0 का कब्जा लेखपाल द्वारा बताया गया है। उद्धरण खतौनी तथा अधिग्रहण आदेश के अवलोकन से उक्त त्रुटियों का निवारण करना आवश्यक है। वाद पत्रावली सं0–1 अग्रणी पत्रावली बनाई गई ।

अतः सम्यक् विचारोंपरान्त निम्न आदेश पारित करते हुये अभिलेखों में संशोधन करने के निर्देश दिये जाते है।

आदेश

ग्राम विनायका परगना दे0अमानत तहसील व जिला वाराणसी की नाम जेड0ए0 खतौनी 1413 फसली के खाता संख्या 51 गाटा सं0 मि0 92 रकबा 0.065 पर से खातेदार सुनील कुमार सिंह रामेश्वर सिंह सा0 म0 न0 एस0 2/115 अर्दली बाजार शहर वाराणसी व प्रेमप्रकाश श्रीवास्तव पुत्र जगदीश लाल सा0 अमौत पर0 कोलअसला व अमरनाथ यादव पुत्र भरत यादव सा0 कोइराजपुर पर0 अठगावॉ व शिवप्रसाद रस्तोगी पुत्र सोमारु राम सा 0 के0 46/100 मोहल्ला हरतीरथ शहर वाराणसी का नाम निरस्त करके काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा सम्पदा अधिकारी बी0एच0यू0 का नाम दर्ज किया जाय। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाय।

दिनांक–5 जनवरी , 2007

Sd
(जग प्रसाद)
मुख्य राजस्व अधिकारी,
वाराणसी

सत्यप्रतिलिपि
03.02.07
अमलदार
मुख्य राजस्व अधिकारी
वाराणसी

170

न्यायालय मुख्य राजस्व अधिकारी, वाराणसी

विविध संशोधन प्रार्थना पत्र वाद सं0 12/19 / वर्ष 2006–07

मौजा – विनायका, परगना दे0 अमानत,तहसील व जिला वाराणसी

सम्पदा अधिकारी, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय बनाम सरकार उ0प्र0

निर्णय

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय कार्यालय के प्राप्त प्रार्थना पत्र दिनांक 14/06/2006 तथा उसके साथ सम्बन्ध विवरण दिनांक 25/11/1952 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में उल्लिखित गाटों का अधिग्रहण भूमि अध्यापति अधिकारी द्वारा टीचर्स ट्रेनिंग कालेज के विस्तार के लिये किया गया था, और सभी खातेदारों को उनका भुगतान करके अवार्ड घोषित कर दिया गया था । आदेश के प्रमाणित प्रतियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त आदेश का कियान्वयन कुछ खातो में छूट गया है, जिसके कारण आज भी उक्त भूखण्ड बी0एच0यू0 के बाउन्ड्री वाल के अन्दर स्थित होने के बावजूद अभिलेखों में त्रुटियां बनी आ रही है। अब मौके पर बी0एच0यू0 का कब्जा लेखपाल द्वारा बताया गया है। उद्धरण खतौनी तथा अधिग्रहण आदेश के अवलोकन से उक्त त्रुटियों का निवारण करना आवश्यक है। वाद पत्रावली सं0–1 अग्रणी पत्रावली बनाई गई ।

अतः सम्यक् विचारोंपरान्त निम्न आदेश पारित करते हुये अभिलेखों में संशोधन करने के निर्देश दिये जाते है।

आदेश

ग्राम विनायका परगना दे0अमानत तहसील व जिला वाराणसी की खतौनी 1410 लगायत 1415 फसली के खाता संख्या 261 गाटा सं0 292 रकबा 0.174 व मि.296 रकबा 0.029 पर से अंकित खातेदारों श्री दुर्गा प्रसाद पुत्र श्री बुद्धू आदि का नाम निरस्त करके काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा सम्पदा अधिकारी बी0एच0यू0 का नाम दर्ज किया जाय। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाय।

दिनांक–6 जनवरी , 2007

Sd
(जग प्रसाद)
मुख्य राजस्व अधिकारी,
वाराणसी।

सत्यप्रतिलिपि
03-2-07
अमलदार
मुख्य राजस्व अधिकारी
वाराणसी

न्यायालय मुख्य राजस्व अधिकारी, वाराणसी

विविध संशोधन प्रार्थना पत्र वाद सं0 20/13 / वर्ष 2006–07

मौजा – विनायका, परगना दे0 अमानत,तहसील व जिला वाराणसी

सम्पदा अधिकारी, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय बनाम सरकार उ0प्र0

निर्णय

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय कार्यालय के प्राप्त प्रार्थना पत्र दिनांक 14 / 06 / 2006 तथा उसके साथ सम्बन्ध विवरण दिनांक 25 / 11 / 1952 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में उल्लिखित गाटों का अधिग्रहण भूमि अध्यापति अधिकारी द्वारा टीचर्स ट्रेनिंग कालेज के विस्तार के लिये किया गया था, और सभी खातेदारों को उनका भुगतान करके अवार्ड घोषित कर दिया गया था । आदेश के प्रमाणित प्रतियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त आदेश का कियान्वयन कुछ खातो में छूट गया है, जिसके कारण आज भी उक्त भूखण्ड बी0एच0यू0 के बाउन्ड्री वाल के अन्दर स्थित होने के बावजूद अभिलेखों में त्रुटियां बनी आ रही है। अब मौके पर बी0एच0यू0 का कब्जा लेखपाल द्वारा बताया गया है। उद्धरण खतौनी तथा अधिग्रहण आदेश के अवलोकन से उक्त त्रुटियों का निवारण करना आवश्यक है। वाद पत्रावली सं0–1 अग्रणी पत्रावली बनाई गई ।

अतः सम्यक् विचारोंपरान्त निम्न आदेश पारित करते हुये अभिलेखों में संशोधन करने के निर्देश दिये जाते है।

आदेश

ग्राम विनायका परगना दे0अमानत तहसील व जिला वाराणसी की खतौनी 1410 लगायत 1415 फसली के खाता संख्या 249 गाटा सं0 मि0 64/3 रकबा 0.450 व मि. 94 रक्बा 0.581 पर से अंकित सभी खातेदारो श्री विरेश्वर चकवर्ती व सत्यनरायन चकवर्ती पुत्रगण श्रीभारद्वाज चकवर्ती आदि का नाम निरस्त करके काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा सम्पदा अधिकारी बी0एच0यू0 का नाम दर्ज किया जाय। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाय।

दिनांक–6 जनवरी , 2007

Sd
(जग प्रसाद)
मुख्य राजस्व अधिकारी,
वाराणसी।

सत्य प्रतिलिपि
03.2.07
अमलदार
मुख्य राजस्व अधिकारी
वाराणसी

न्यायालय मुख्य राजस्व अधिकारी, वाराणसी

विविध संशोधन प्रार्थना पत्र वाद सं0 21/14 / वर्ष 2006–07

मौजा – विनायका, परगना दे0 अमानत,तहसील व जिला वाराणसी

सम्पदा अधिकारी, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय बनाम सरकार उ0प्र0

निर्णय

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय कार्यालय के प्राप्त प्रार्थना पत्र दिनांक 14/06/2006 तथा उसके साथ सम्बन्ध विवरण दिनांक 25/11/1952 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में उल्लिखित गाटों का अधिग्रहण भूमि अध्यापति अधिकारी द्वारा टीचर्स ट्रेनिंग कालेज के विस्तार के लिये किया गया था, और सभी खातेदारों को उनका भुगतान करके अवार्ड घोषित कर दिया गया था । आदेश के प्रमाणित प्रतियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त आदेश का क्रियान्वयन कुछ खातो में छूट गया है, जिसके कारण आज भी उक्त भूखण्ड बी0एच0यू0 के बाउन्ड्री वाल के अन्दर स्थित होने के बावजूद अभिलेखों में त्रुटियां बनी आ रही है। अब मौके पर बी0एच0यू0 का कब्जा लेखपाल द्वारा बताया गया है। उद्धरण खतौनी तथा अधिग्रहण आदेश के अवलोकन से उक्त त्रुटियों का निवारण करना आवश्यक है। वाद पत्रावली सं0–1 अग्रणी पत्रावली बनाई गई ।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त निम्न आदेश पारित करते हुये अभिलेखों में संशोधन करने के निर्देश दिये जाते है।

आदेश

ग्राम विनायका परगना दे0अमानत तहसील व जिला वाराणसी की खतौनी 1410 लगायत 1415 फसली के खाता संख्या 06 गाटा सं0 64/2 रकबा 0.450 पर से अंकित खातेदार श्री अचल बिहारी सेठ पुत्र श्री मनोध शाह का नाम निरस्त करके काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा सम्पदा अधिकारी बी0एच0यू0 का नाम दर्ज किया जाय। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाय।

दिनांक–6 जनवरी , 2007

Sd/-
(जग प्रसाद)
मुख्य राजस्व अधिकारी,
वाराणसी।

सत्यप्रतिलिपि
03.2.07
अमलदार
मुख्य राजस्व अधिकारी
वाराणसी

न्यायालय मुख्य राजस्व अधिकारी, वाराणसी

विविध संशोधन प्रार्थना पत्र वाद सं0 22/15 / वर्ष 2006–07

मौजा – विनायका, परगना दे0 अमानत,तहसील व जिला वाराणसी

सम्पदा अधिकारी, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय बनाम सरकार उ0प्र0

निर्णय

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय कार्यालय के प्राप्त प्रार्थना पत्र दिनांक 14 / 06 / 2006 तथा उसके साथ सम्बन्ध विवरण दिनांक 25 / 11 / 1952 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में उल्लिखित गाटों का अधिग्रहण भूमि अध्यापति अधिकारी द्वारा टीचर्स ट्रेनिंग कालेज के विस्तार के लिये किया गया था, और सभी खातेदारों को उनका भुगतान करके अवार्ड घोषित कर दिया गया था । आदेश के प्रमाणित प्रतियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त आदेश का कियान्वयन कुछ खातो में छूट गया है, जिसके कारण आज भी उक्त भूखण्ड बी0एच0यू0 के बाउन्ड्री वाल के अन्दर स्थित होने के बावजूद अभिलेखों में त्रुटियां बनी आ रही है। अब मौके पर बी0एच0यू0 का कब्जा लेखपाल द्वारा बताया गया है। उद्धरण खतौनी तथा अधिग्रहण आदेश के अवलोकन से उक्त त्रुटियों का निवारण करना आवश्यक है। वाद पत्रावली सं0–1 अग्रणी पत्रावली बनाई गई ।

अतः सम्यक् विचारोंपरान्त निम्न आदेश पारित करते हुये अभिलेखों में संशोधन करने के निर्देश दिये जाते है।

आदेश

ग्राम विनायका परगना दे0अमानत तहसील व जिला वाराणसी की खतौनी 1410 लगायत 1415 फसली के खाता संख्या 22 गाटा सं0 69 रकबा 0.218 पर से अंकित खातेदार श्री बाबू अनौजा प्रसाद डे पुत्र श्री उपेन्द्र नाथ डे नि0 डयोढियाबीर शहर वाराणसी का नाम निरस्त करके काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा सम्पदा अधिकारी बी0एच0यू0 का नाम दर्ज किया जाय। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाय।

दिनांक–6 जनवरी . 2007

Sd
(जग प्रसाद)
मुख्य राजस्व अधिकारी,
वाराणसी।

सत्यप्रतिलिपि
03-02-07
नकलनवीस
मुख्य राजस्व अधिकारी
वाराणसी

158

न्यायालय मुख्य राजस्व अधिकारी, वाराणसी

विविध संशोधन प्रार्थना पत्र वाद सं0 23/16 / वर्ष 2006–07

मौजा – विनायका, परगना दे0 अमानत,तहसील व जिला वाराणसी

सम्पदा अधिकारी, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय बनाम सरकार उ0प्र0

निर्णय

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय कार्यालय के प्राप्त प्रार्थना पत्र दिनांक 14/06/2006 तथा उसके साथ सम्बन्ध विवरण दिनांक 25/11/1952 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र मे उल्लिखित गाटों का अधिग्रहण भूमि अध्यापति अधिकारी द्वारा टीचर्स ट्रेनिंग कालेज के विस्तार के लिये किया गया था, और सभी खातेदारों को उनका भुगतान करके अवार्ड घोषित कर दिया गया था । आदेश के प्रमाणित प्रतियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त आदेश का कियान्वयन कुछ खातो में छूट गया है, जिसके कारण आज भी उक्त भूखण्ड बी0एच0यू0 के बाउन्ड्री वाल के अन्दर स्थित होने के बावजूद अभिलेखों में त्रुटियां बनी आ रही है। अब मौके पर बी0एच0यू0 का कब्जा लेखपाल द्वारा बताया गया है। उद्धरण खतौनी तथा अधिग्रहण आदेश के अवलोकन से उक्त त्रुटियों का निवारण करना आवश्यक है। वाद पत्रावली सं0–1 अग्रणी पत्रावली बनाई गई ।

अतः सम्यक् विचारोंपरान्त निम्न आदेश पारित करते हुये अभिलेखों में संशोधन करने के निर्देश दिये जाते है।

आदेश

ग्राम विनायका परगना दे0अमानत तहसील व जिला वाराणसी की खतौनी 1410 लगायत 1415 फसली के खाता संख्या 229 गाटा सं0 64/1 मि. रकबा 0.040 पर से अंकित सभी खातेदारों श्री लल्लन प्रसाद पुत्र श्री हजारी लाल आदि नि0 सा.म. कबीरचौरा म.न.सी.24 का नाम निरस्त करके काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा सम्पदा अधिकारी बी0एच0यू0 का नाम दर्ज किया जाय। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाय।

दिनांक–6 जनवरी , 2007

Sd
(जग प्रसाद)
मुख्य राजस्व अधिकारी,
वाराणसी।

सत्यप्रतिलिपि
03-2-07
अमलदार
मुख्य राजस्व अधिकारी
वाराणसी

न्यायालय मुख्य राजस्व अधिकारी, वाराणसी

विविध संशोधन प्रार्थना पत्र वाद सं0 24/17 / वर्ष 2006–07

मौजा – विनायका, परगना दे0 अमानत,तहसील व जिला वाराणसी

सम्पदा अधिकारी, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय बनाम सरकार उ0प्र0

निर्णय

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय कार्यालय के प्राप्त प्रार्थना पत्र दिनांक 14/06/2006 तथा उसके साथ सम्बन्ध विवरण दिनांक 25/11/1952 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में उल्लिखित गाटों का अधिग्रहण भूमि अध्यापति अधिकारी द्वारा टीचर्स ट्रेनिंग कालेज के विस्तार के लिये किया गया था, और सभी खातेदारों को उनका भुगतान करके अवार्ड घोषित कर दिया गया था । आदेश के प्रमाणित प्रतियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त आदेश का कियान्वयन कुछ खातो में छूट गया है, जिसके कारण आज भी उक्त भूखण्ड बी0एच0यू0 के बाउन्ड्री वाल के अन्दर स्थित होने के बावजूद अभिलेखों में त्रुटियां बनी आ रही है। अब मौके पर बी0एच0यू0 का कब्जा लेखपाल द्वारा बताया गया है। उद्धरण खतौनी तथा अधिग्रहण आदेश के अवलोकन से उक्त त्रुटियों का निवारण करना आवश्यक है। वाद पत्रावली सं0–1 अग्रणी पत्रावली बनाई गई ।

अतः सम्यक् विचारोंपरान्त निम्न आदेश पारित करते हुये अभिलेखों में संशोधन करने के निर्देश दिये जाते है।

आदेश

ग्राम विनायका परगना दे0अमानत तहसील व जिला वाराणसी की खतौनी 1410 लगायत 1415 फसली के खाता संख्या 103 गाटा सं0 291 रकबा 0.166 व गाटा सं0 289 रकबा 0.105 व गाटा सं0 290 रकबा 0.243 व गाटा सं0 288 रकबा 0.287 व गाटा सं0 293 रकबा 0.352 पर से तीन सौ हजाम शहर वाराणसी मुन्तिजिकार श्री बृजमोहन प्रसाद पुत्र श्री बैजनाथ प्रसाद नि0 म. न. 34/174गनेश महाल वार का नाम निरस्त करके काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा सम्पदा अधिकारी बी0एच0यू0 का नाम दर्ज किया जाय। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाय।

दिनांक–6 जनवरी , 2007

Sd
(जग प्रसाद)
मुख्य राजस्व अधिकारी,
वाराणसी।

सत्यप्रतिलिपि
03-2-07
लेखपाल
मुख्य राजस्व अधिकारी
वाराणसी

152

न्यायालय मुख्य राजस्व अधिकारी, वाराणसी

विविध संशोधन प्रार्थना पत्र वाद सं0 25/18 / वर्ष 2006–07

मौजा -- विनायका, परगना दे0 अमानत,तहसील व जिला वाराणसी

सम्पदा अधिकारी, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय बनाम सरकार उ0प्र0

निर्णय

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय कार्यालय के प्राप्त प्रार्थना पत्र दिनांक 14/06/2006 तथा उसके साथ सम्बन्ध विवरण दिनांक 25/11/1952 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में उल्लिखित गाटों का अधिग्रहण भूमि अध्यापति अधिकारी द्वारा टीचर्स ट्रेनिंग कालेज के विस्तार के लिये किया गया था, और सभी खातेदारों को उनका भुगतान करके अवार्ड घोषित कर दिया गया था । आदेश के प्रमाणित प्रतियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त आदेश का कियान्वयन कुछ खातो में छूट गया है, जिसके कारण आज भी उक्त भूखण्ड बी0एच0यू0 के बाउन्ड्री वाल के अन्दर स्थित होने के बावजूद अभिलेखों में त्रुटियां बनी आ रही है। अब मौके पर बी0एच0यू0 का कब्जा लेखपाल द्वारा बताया गया है। उद्धरण खतौनी तथा अधिग्रहण आदेश के अवलोकन से उक्त त्रुटियों का निवारण करना आवश्यक है। वाद पत्रावली सं0–1 अग्रणी पत्रावली बनाई गई ।

अतः सम्यक् विचारोंपरान्त निम्न आदेश पारित करते हुये अभिलेखों में संशोधन करने के निर्देश दिये जाते है।

आदेश

ग्राम विनायका परगना दे0अमानत तहसील व जिला वाराणसी की खतौनी 1410 लगायत 1415 फसली के खाता संख्या 155 गाटा सं0 मि. 64/1 रक्बा 0.049पर से खातेदार बीरबल व छोटेलाल पुत्रगण श्री रामजीत का नाम निरस्त करके काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा सम्पदा अधिकारी बी0एच0यू0 का नाम दर्ज किया जाय। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाय।

दिनांक–6 जनवरी , 2007

Sd
(जग प्रसाद)
मुख्य राजस्व अधिकारी,
वाराणसी।

सत्यप्रतिलिपि
03-02-07
मुख्य राजस्व अधिकारी
वाराणसी

149

न्यायालय मुख्य राजस्व अधिकारी, वाराणसी

विविध संशोधन प्रार्थना पत्र वाद सं0 26/19 / वर्ष 2006–07

मौजा – विनायका, परगना दे0 अमानत,तहसील व जिला वाराणसी

सम्पदा अधिकारी, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय बनाम सरकार उ0प्र0

निर्णय

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय कार्यालय के प्राप्त प्रार्थना पत्र दिनांक 14/06/2006 तथा उसके साथ सम्बन्ध विवरण दिनांक 25/11/1952 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में उल्लिखित गाटों का अधिग्रहण भूमि अध्यापति अधिकारी द्वारा टीचर्स ट्रेनिंग कालेज के विस्तार के लिये किया गया था, और सभी खातेदारों को उनका भुगतान करके अवार्ड घोषित कर दिया गया था । आदेश के प्रमाणित प्रतियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त आदेश का कियान्वयन कुछ खातो में छूट गया है, जिसके कारण आज भी उक्त भूखण्ड बी0एच0यू0 के बाउन्ड्री वाल के अन्दर स्थित होने के बावजूद अभिलेखों में त्रुटियां बनी आ रही है। अब मौके पर बी0एच0यू0 का कब्जा लेखपाल द्वारा बताया गया है। उद्धरण खतौनी तथा अधिग्रहण आदेश के अवलोकन से उक्त त्रुटियों का निवारण करना आवश्यक है। वाद पत्रावली सं0–1 अग्रणी पत्रावली बनाई गई ।

अतः सम्यक् विचारोंपरान्त निम्न आदेश पारित करते हुये अभिलेखों में संशोधन करने के निर्देश दिये जाते है।

आदेश

ग्राम विनायका परगना दे0अमानत तहसील व जिला वाराणसी की खतौनी 1410 लगायत 1415 फसली के खाता संख्या 75 गाटा सं0 70 रक्बा 0.101 पर से खातेदार गिरिजा मोहन पुरी पुत्र नगमोहन पुरी नि0 स्थानीय का नाम निरस्त करके काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा सम्पदा अधिकारी बी0एच0यू0 का नाम दर्ज किया जाय। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाय।

दिनांक–6 जनवरी , 2007

Sd
(जग प्रसाद)
मुख्य राजस्व अधिकारी,
वाराणसी।

सत्यप्रति लिपि
03-02-07
लेखपाल
मुख्य राजस्व अधिकारी
वाराणसी

146

न्यायालय मुख्य राजस्व अधिकारी, वाराणसी

विविध संशोधन प्रार्थना पत्र वाद सं0 20/ वर्ष 2006–07

मौजा – विनायका, परगना दे0 अमानत,तहसील व जिला वाराणसी

सम्पदा अधिकारी, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय बनाम सरकार उ0प्र0

निर्णय

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय कार्यालय के प्राप्त प्रार्थना पत्र दिनांक 14/06/2006 तथा उसके साथ सम्बन्ध विवरण दिनांक 25/11/1952 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में उल्लिखित गाटों का अधिग्रहण भूमि अध्यापति अधिकारी द्वारा टीचर्स ट्रेनिंग कालेज के विस्तार के लिये किया गया था, और सभी खातेदारों को उनका भुगतान करके अवार्ड घोषित कर दिया गया था । आदेश के प्रमाणित प्रतियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त आदेश का कियान्वयन कुछ खातो में छूट गया है, जिसके कारण आज भी उक्त भूखण्ड बी0एच0यू0 के बाउन्ड्री वाल के अन्दर स्थित होने के बावजूद अभिलेखों में त्रुटियां बनी आ रही है। अब मौके पर बी0एच0यू0 का कब्जा लेखपाल द्वारा बताया गया है। उद्धरण खतौनी तथा अधिग्रहण आदेश के अवलोकन से उक्त त्रुटियों का निवारण करना आवश्यक है। वाद पत्रावली सं0–1 अग्रणी पत्रावली बनाई गई ।

अतः सम्यक् विचारोंपरान्त निम्न आदेश पारित करते हुये अभिलेखों में संशोधन करने के निर्देश दिये जाते है।

आदेश

ग्राम विनायका परगना दे0अमानत तहसील व जिला वाराणसी की खतौनी 1410 लगायत 1415 फसली के खाता संख्या 201 गाटा सं0 296 मि. रकबा 0.040 पर से खातेदार श्री रमेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री श्रीनिवास पान्डेय सा.म.न.बी. 31/108 दिनैका का नाम निरस्त करके काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा सम्पदा अधिकारी बी0एच0यू0 का नाम दर्ज किया जाय। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाय।

दिनांक–6 जनवरी , 2007

सत्यप्रतिलिपि
03-02-07
अहलमद
मुख्य राजस्व अधिकारी

Sd
(जग प्रसाद)
मुख्य राजस्व अधिकारी,
वाराणसी।